

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 25.10.2020

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-44 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. बृजेश उर्फ भाटू पुत्र राजेन्द्र नि० नयन जोतिया थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-399/20, 02. राजेश पुत्र राम दास नि० ढढोव्वा थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-400/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. लाखू राम पुत्र शिव नरायन नि० झजवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-325/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राज कुमार निषाद पुत्र जोखन सिंह नि० नई बस्ती ऐली परसौली थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-237/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राम गोविन्द उर्फ भुसैली पुत्र नीबर नि० चकिया एकडंगा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-439/60, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सुखेराज पुत्र सोमनाथ राना नि० अंतरसुईया थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-441/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राम प्रसाद पुत्र मदई नि० निपनिया थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—272/60, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

07. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. संजय कुमार पुत्र शम्भू प्रसाद नि० अमवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—393/20, 02. गुड़िया पत्नी प्रवीन कुमार नि० अम्बरपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—395/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

08. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. अजय सिंह पुत्र राम जनक सिंह नि० महंगूपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—349/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

09. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. मायाराम सोनकर पुत्र जवाहिर लाल नि० भकुरहा थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 18 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—445/20, 02. दयाराम सोनकर पुत्र स्व० जगमोहन नि० नीला बभनी थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—447/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

हत्या करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना इटियाथोक पुलिस ने हत्या करने के आरोपी अभियुक्त विनय कुमार उर्फ छोटू उपाध्याय पुत्र रामबनारस उपाध्याय नि० जगन्नाथीपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को थाना इटियाथोक पर पंजीकृत मु०अ०सं०—364/20, धारा 302 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

दिनांक 14.10.2020 को थाना इटियाथोक क्षेत्र के ग्राम जगन्नाथीपुर में एक व्यक्ति की गला दबाकर हत्या कर दी गयी थी जिसके सम्बन्ध में मृतक की पत्नी माधुरी उपाध्याय पत्नी स्व० अयोध्या प्रसाद नि० ग्राम जगन्नाथीपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा द्वारा थाना इटियाथोक में अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें इटियाथोक पुलिस ने प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अश्लील हरकत करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने अश्लील हरकत करने के आरोपी अभियुक्त राम मिलन पुत्र परमानन्द नि० डिडौली थाना कोपरा बाजार झांसी (म०प्र०) को गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त, मंगुराबाजार में खड़े होकर आने जाने महिलाओ/लड़कियों के साथ अश्लील हरकत कर रहा था। जिसको उमरीबेगमगंज पुलिस ने पकड़कर थाना उमरीबेगमगंज में मु0अ0सं0-239/20, धारा 294 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

चोरी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना नवाबगंज पुलिस ने चोरी करने के वांछित अभियुक्त स्वामीनाथ यादव उर्फ लुकी यादव पुत्र मुंशी यादव नि0 चौबेपुर हथवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को थाना नवाबगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0-409/20, धारा 379.411 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 02.09.2020 को वादी दुर्गेश कुमार पाण्डेय पुत्र राम गरीब पाण्डेय नि0 पाण्डेयपुरवा हरिवंशपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा की भैस चोरी कर लिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना नवाबगंज में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें नवाबगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए वांछित चल रहे उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

01 किलो0 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अजय पुत्र प्रेम किशोर उपाध्याय नि0 मंगुराबाजार थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-238/20, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 25.10.2020 को थाना उमरीबेगमगंज के उ0नि0 चन्द्र भूषण पाण्डेय मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को डण्डीबाबा स्थान से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो0 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया।

उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना उमरीबेगमगंज में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 चन्द्र भूषण पाण्डेय।
02. का0 अमर सिंह।
03. श्यामू वर्मा।

